



जोधपुर  
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
जोधपुर

आर.ई.ओ. 212

क्रमांक : जोडि/अ.अ./पी.पी.एम./फा० एसएण्डआई(कृ. आ.)/प्रे० 3980 दिनांक 28.03.2015

: आदेश :

विषय :- निरस्त कृषि कनेक्शन पत्रावलियों को पुर्न:जीवित करने के संबंध में।

जिन कृषि कनेक्शन पत्रावलियों के मांग पत्र दि. 01.04.2013 एवं इसके बाद जारी किये गये एवं किसी कारणवश आवेदक मांग पत्र राशि जमा नहीं करवा सकें तथा पत्रावलियां निरस्त हो गईं उन आवेदकों को मांग पत्र जमा करने हेतु एक अवसर और दिये जाने के निर्देश निम्न प्रावधानों के साथ दिये जाते हैं :-

1. आवेदक जिनकी कृषि कनेक्शन पत्रावलियां मांग पत्र की जमा न करवाने के कारण निरस्त हो गई है उन्हें निगम द्वारा पुर्न:जीवित करने के लिए रु. 500/- जमा करवाने हेतु दिनांक 01.04.2015 से 15.04.2015 तक रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा ।
2. मांग पत्र की राशि 16.04.2015 से 15.05.2015 तक जमा करानी होगी अन्यथा पत्रावली बिना अन्य किसी सूचना के रद्द मानी जावेगी ।
3. इन पुर्न:जीवित कृषि कनेक्शन पत्रावलियों की प्राथमिकता मांग पत्र की राशि जमा होने की तिथि से निर्धारित की जावेगी ।

(एम.आर. विशनोई)

मुख्य अभियन्ता(पीसी-सीएण्डपी)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव (प्रशासन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
3. निदेशक (वित्त/तकनीकी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. संभागीय मुख्य अभियन्ता (जोध./बीका./बाड़. जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
5. उप मुख्य अभियन्ता (एम.एम.एण्डसी.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (ए. एण्ड आर./...../.....) जोधपुर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
7. प्रावैधिक सहायक, माननीय प्रबंधक निदेशक महोदय, जोधपुर/जयपुर/अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर/अजमेर।
8. अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संधा./सतर्कता/टी.डब्ल्यू./वाणिज्य/एम.एम.सी./एमएण्डपी/बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/सिरोही/जालौर/जैसलमेर/बाड़मेर/बीकानेर/चुरु/हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर।
9. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)/ उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
10. निजी सचिव, मा. ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
11. निजी सहायक, अध्यक्ष, डिस्कॉम, जयपुर को माननीय अध्यक्ष के सूचनार्थ।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि. एवं संधा./एमएम/अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
13. कंपनी सचिव/उपनिदेशक (कार्मिक), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
14. जनसंपर्क अधिकारी जोधपुर, जोधपुर।

मुख्य अभियन्ता(पीसी-सीएण्डपी)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर